

दिनांक 22 नवम्बर, 2017 को झारखंड विधानसभा परिसर, धुर्वा में विधानसभा के स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर माननीया राज्यपाल महोदया का अभिभाषण

झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में सम्मिलित होकर मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। इस अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनायें देती हूँ।

झारखण्ड राज्य का सृजन 15 नवंबर, 2000 को हुआ था। पूर्व में यह बिहार का अभिन्न हिस्सा था। विकास को गति प्रदान करने एवं विधि-व्यवस्था को अधिक सशक्त करने हेतु इस राज्य का निर्माण हुआ। इस राह में कई कार्य करने की कोशिश की गई, लेकिन अभी भी लक्ष्य से हम दूर हैं। हमें उस लक्ष्य को हर हाल में प्राप्त करना है तथा सभी के चेहरे पर मुस्कान लाना है और समृद्ध एवं सशक्त झारखण्ड की स्थापना करना है। ऐसा होगा, तभी झारखण्ड राज्य के निर्माण का उद्देश्य पूरा होगा।

इस अवसर पर मैं यह भी उल्लेख करना चाहूँगी कि निश्चितरूपेण, झारखण्ड विधानसभा ने विगत 17 वर्षों में राज्यहित में कई महत्वपूर्ण कार्य किया है तथा जनहित की समस्याओं के निदान एवं राज्य के विकास की दिशा में कई सफलताएँ भी अर्जित की है। लेकिन उस गति को हम सभी दलगत भावना से ऊपर उठकर और तेज करने की आवश्यकता है। आज का स्थापना दिवस हम सभी के लिए अपनी कामयाबियों पर प्रसन्नता व्यक्त

करने के साथ ही कमियों पर मंथन एवं चिन्तन करने का भी अवसर प्रदान करता है ।

विधानमंडल राज्य की सबसे बड़ी पंचायत होती है । इस परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है । इस अवसर पर मैं कहना चाहूँगी कि जनता अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि का चयन बहुत अपेक्षा, आशा और विश्वास के साथ करती है । ये प्रतिनिधि उनकी समस्याओं के निराकरण तथा क्षेत्र के विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं । देश व राज्य के विकास की गति के लिए संसद एवं विधानमंडल को ही जिम्मेदार माना जाता है, इस बात का ध्यान हमेशा हमारे सभी विधायकगण और मंत्रिमंडल के सदस्यगण रखें ।

लोकतंत्र जो जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है, इसमें जनता की अपेक्षाएँ अधिक-से-अधिक पूर्ण करने की भूमिका विधानसभा की ही होती है । वर्तमान दौर में जनता यह देखती और चिंतन करती है कि अन्य राज्यों में जनता के लिए कौन-सी कल्याणकारी योजनाएँ संचालित हो रही हैं, इसके क्या प्रभाव हुए हैं और इसको अपने यहाँ भी अपनाने की अपेक्षा करती है । इसलिए हमारे विधायकों को भी इस मामले में सचेष्ट रहना चाहिये । उन्हें अपने यहाँ संचालित विभिन्न योजनाओं के साथ अन्य प्रदेशों में संचालित योजनाओं से अच्छी तरह अवगत रहना चाहिये ।

विधानमण्डल को सदैव सचेष्ट रहना है कि जनहित हेतु आवश्यकताएँ क्या हैं, उनकी समस्याएँ क्या हैं, ताकि उसके अनुरूप

नीतियाँ बनाई जा सकें। जन-प्रतिनिधियों को जनता की आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से जानकर उन्हें मूर्त रूप प्रदान करने की दिशा में सक्रिय रहने की आवश्यकता है। उन्हें अपनी कार्यों में पारदर्शिता रखनी होगी तथा लोगों से अच्छी तरह पेश आएं। किसी कार्य में कठिनाई में है तो जनता को उन जटिलताओं से अवगत कराएं। जनता अपने जन-प्रतिनिधि को पूर्णतः ईमानदार समझें, ऐसा माहौल बनें। रामराज्य की स्थापना की दिशा में जन-प्रतिनिधि, जनता और पदाधिकारी एवं कर्मी का ईमानदार होना आवश्यक है।

मैं विधानसभा के सदस्यों से कहना चाहूँगी कि सदन के समक्ष कोई **Act & Regulation** पारित करने हेतु लाया जाय, तो उसके **Draft** को वे गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं उस पर मन्थन करें। इसके लागू होने से जनता पर पड़ने वाले प्रभाव का चिन्तन करें, तभी आप जनता के प्रति अपने कर्तव्यों का बेहतर तरीके से निर्वहन कर पायेंगे।

सदन में बेहतर ढंग से वाद-विवाद हो, सबकी बात सुनी जाय। सदस्यगण सदन के समक्ष जनहित में तथ्यपरक विषय लायें। **Information Technology** के इस युग में जनता अपने **Representatives** का सदन में आचरण का आकलन करती है। हमारी जनता न केवल अपने क्षेत्र के विधायक द्वारा किये गये प्रश्न को गंभीरतापूर्वक सुनती है, बल्कि सरकार का उस पर क्या विचार है, ये भी जानने को ललायित रहती है। इसे सदैव ध्यान में

रखने की जरूरत है। इसलिए सदस्यों को बेहतर तरीके से प्रश्न करना चाहिये और सरकार को उचित जबाब देना चाहिये।

सरकार से यदि जनहित की कोई बात छूट जाय, तो विपक्ष को इस ओर प्रभावी रूप से ध्यान दिलाना चाहिये, लेकिन इस क्रम में सदन की गरिमा को ठेस न पहुँचे, यह भी ध्यान रखना आवश्यक है। विपक्ष विरोध करने के लिए विरोध न करें, अपनी रचनात्मक भूमिका निभायें। स्वयं के प्रति ईमानदार रहें।

विधानसभा अध्यक्ष द्वारा विधायकों हेतु विभिन्न विषयों पर कार्यशाला का आयोजन करना सराहनीय है। उन्होंने माननीया लोक सभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन, संविधान विशेषज्ञ श्री सुभाष कश्यप आमंत्रित करने की पहल की। साथ ही नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी जी द्वारा “सुरक्षित बचपन, सुरक्षित भारत” विषय पर व्याख्यान आयोजित किया गया। विधानसभा अध्यक्ष विधायकों को अधिक-से-अधिक परिपक्व करने के लिए विभिन्न सार्थक पहल की सराहना करती हूँ।

यह खुशी की बात है कि झारखण्ड विधानसभा द्वारा अपने स्थापना दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष एक विधायक को उत्कृष्ट विधायी सम्मान से सम्मानित किया जाता है। मैं इस वर्ष उत्कृष्ट विधायक का सम्मान प्राप्त करने हेतु श्रीमती विमला प्रधान जी को हार्दिक बधाई देती हूँ। साथ ही उनसे कहना चाहूँगी कि उत्कृष्ट विधायक के रूप में चयनित होने पर उनसे जनता को अपेक्षाएँ और बढ़ जाती है, यह सदा ध्यान रखें। इस अवसर पर मैं

पुरस्कार ग्रहण करनेवाले विधानसभा के संयुक्त सचिव, जन-सम्पर्कीय कर्मी सहित अन्य कर्मियों को बधाई देती हूँ। साथ ही अपेक्षा करती हूँ कि वे इतनी निष्ठा के साथ अच्छा कार्य करें कि लोग उनसे प्रेरित हों।

झारखण्ड विधानसभा की गणना देश में आदर्श विधानसभा के रूप में हो। इसके लिए विधानसभा के प्रत्येक सदस्य को अपनी सक्रिय भूमिका की आवश्यकता है, ताकि हम अपने राज्य की जनता के दुःख-दर्द को दूर करके एक समृद्ध और गौरवशाली झारखण्ड का निर्माण कर सकें।

एक बार पुनः आप सभी को इस पुनीत अवसर पर सभी को बधाई देती हूँ।

जय हिन्द!

जय झारखण्ड!